पत्रांक–सं0सं0–6/N –13–26/2025.....

# बिहार सरकार

## स्वास्थ्य विभाग

## !! निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ !!

**प्रेषक,**

**डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,**
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)।

सेवा में,

**सभी सिविल सर्जन, बिहार।**
**सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार।**
**सभी अधीक्षक, आयुष महाविद्यालय अस्पताल, बिहार।**
**सभी निदेशक, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बिहार।**

पटना, दिनांकः / /2025

**विषयः नर्सिंग कर्मियों को क्षतिपूरक छुट्टी की सुविधा प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या–14636/वि0, दिनांक–30.11.1972 एवं ज्ञाप संख्या–10281/वि0, दिनांक–27.09.1973 में सरकारी सेवकों को क्षतिपूरक छुट्टी की सुविधा प्रदान करने का निर्णय संसूचित है।

उक्त छुट्टी विशेष परिस्थितयों में खासतौर पर आपत्तिक रिलीफ, धार्मिक त्योहार और आपातकालीन एवं अन्य अवसरों पर, सार्वजनिक छुट्टी की अवधियों में लोक सेवा के तकाजे पर किसी सरकारी सेवक को ड्यूटी/कर्तव्य पर रखे जाने पर उन्हें देय होता है। क्षतिपूरक छुट्टी देने का अधिकार उन पदाधिकारियों को ही है, जिनको वर्तमान नियम के अनुसार आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत करने की शक्ति प्रदत्त है।

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि कतिपय अस्पतालों में नर्सिंग कर्मियों को क्षतिपूरक छुट्टी की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है, जबकि उनसे आपत्तिक रिलीफ, धार्मिक त्योहार और आपातकालीन एवं अन्य अवसरों पर सार्वजनिक छुट्टी की अवधियों में लोक सेवा के तकाजे पर कार्य कराया जाता है, जिसके कारण नर्सिंग कर्मियों में क्षोभ एवं असंतोष उत्पन्न हो रहा है।

अतः वित्त विभाग के संकल्प संख्या–14636/वि0, दिनांक–30.11.1972 एवं ज्ञाप संख्या–10281/वि0, दिनांक–27.09.1973 में निहित प्रावधान के आलोक में निदेश दिया जाता है कि उक्त वित्त विभागीय पत्रों में दिये गये दिशा–निर्देश के अनुरूप नर्सिंग कर्मियों को भी क्षतिपूरक छुट्टी की सुविधा प्रदान करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा विभाग में ऐसा मामले आने पर उसको गंभीरता से लिया जायेगा।

**अनु0–यथोक्त।**

विश्वासभाजन
ह0/–
(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)।

D:\Vyas\ee

ज्ञापांक : सं0सं0–6/एन0–13–26/2025.....1175(6).....पटना दिनांक 24/09/2025

प्रतिलिपिः–सभी अधीक्षक, सदर अस्पताल/उपाधीक्षक, अनुमण्डलीय अस्पताल/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**–सभी नर्सिंग कर्मियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4/9/25

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)।

## (ii) अवकाश ( छुट्टी )

### 33

### क्षतिपूरक छुट्टी

[ वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3/पी०आर०जी०—113/ 72/10281 वि०, दिनांक 27-9-1973 ।]

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 14636 वि०, दिनांक 30 नवम्बर, 1972 की अनुसूची (3) के क्रमांक (iii) (ख) (ii) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के सभी सरकारी सेवकों को क्षतिपूर्त्ति की सुविधा दी जाये ।

2. यह क्षतिपूरक छुट्टी विशेष परिस्थिति में खास तौर पर आपत्तिक रिलीफ, धार्मिक त्योहार और आपातकालीन एवं अन्य अवसरों पर सार्वजनिक छुट्टी की अवधियों में लोक सेवा के तकाजे पर किसी सरकारी सेवक की ड्यूटी रखे जाने पर उन्हें देय होगी ।

3. किसी भी पंचांग वर्ष में क्षतिपूरक छुट्टी की अधिकतम सीमा 20 दिन रहेगी एवं किसी भी सरकारी सेवक को एक साथ 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए क्षतिपूरक छुट्टी नहीं देय होगी यह छुट्टी की तरह कर्त्तव्य पर माना जायेगा ।

4. क्षतिपूरक छुट्टी देने का अधिकार उन पदाधिकारियों को ही रहेगा जिनको वर्तमान नियम के अनुसार आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत करने की शक्ति प्रदत्त है । ऐसे ही पदाधिकारी इसका लेखा भी करेंगे ।

5. क्षतिपूरक छुट्टी एकमुश्त अन्य सरकारी घोषित छुट्टी आकस्मिक अवकाश एवं रविवार के साथ मिलाकर 12 दिनों तक ही एक बार दी जा सकती है ।

6. क्षतिपूरक छुट्टी का उपभोग किसी पंचांग वर्ष के दूसरे वर्ष में एक वर्ष के अन्दर ही किया जा सकता है ।

### 34

### आकस्मिक अवकाश

**[Vide F.D. Memo No. 3/MI-504/77/814 F, dated 21-1-1978]**

वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या 3/पी०आर०जी० 2/113/71-6926 वि०, दिनांक 8 जुलाई, 1973 के अनुसार सरकारी सेवकों की एक पंचांगीय वर्ष में केवल 12 दिनों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने की बात संसूचित की गयी थी आकस्मिक अवकाश की अवधि में वृद्धि करने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था । इस विषय पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि 1 जनवरी, 1978 से एक पंचांग वर्ष में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाये तथा इस विषय पर पूर्व निर्गत आदेश उक्त तिथि से संशोधित समझा जाये ।